

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2024/57

दिनांक:- 06/05/24

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय जयपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना में उपलब्ध 10 आवासों/फ्लैटों को ई-ऑक्शन के माध्यम से प्राईम प्रॉपर्टी में निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास/फ्लैट संख्या	कुल
1-	इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर	MIG-A	4/C/96, 5/C/16/TF	02
		LIG	8/L/236, 8/L/256, 10/L/GF/59, 10/L/GF/76, 10/L/GF/82, 10/L/GF/112	06
		MIG-B	8/MB/B-6/608	01
		MLA/MP (Plinth)	8/HMM/66	01
			<b>Total</b>	<b>10</b>

उपरोक्त वर्णित 10 आवासों/फ्लैटों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नीलामी से (बिना छूट) निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्लिखित/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिकवाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal (प्रवीण कुमार अग्रवाल)

Designation: Chief Estate Officer

Date: 2024.04.23 17:06:04 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref  
6721510

